पत्रांक /4864/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 05 /14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः: देहरादून ::22 जनवरी 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 96/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तरप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची-II (ख) के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 4864 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।

3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

–2–

9– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

13–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

19–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

20–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

22–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

24– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

25– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 96/2015/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादून:: दिनांक:: 20 जनवरी 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

क्र0 सं0	अनुसूची	अनुसूची में वर्तमान प्रविष्टि एवं क्रम संख्या	संशोधित प्रविष्टि
1.	I	1. पशुओं द्वारा चलित गाड़ी तथा इस अधिनियम की किसी दूसरी सूची में उल्लिखित कृषि उपकरणों के अन्यथा मनुष्य या पशु या ट्रेक्टर द्वारा चालित कृषि उपकरण।	1. इस अधिनियम की किसी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित कृषि उपकरणों के अन्यथा हाथ से अथवा पशु या ट्रेक्टर से संचालित कृषि उपकरण (जिसमें काष्ठ या इमारती लकड़ी से बने उनके पार्टस् तथा एसेसरीज सम्मिलित नहीं है)।
2.	I	7. मधुमक्खी का कृत्रिम घर और शहद	7. (i) शहद (ii) सागौन(टीक), देवदार, साल, शीशम, कैल अथवा सैन के अन्यथा सभी प्रकार/प्रजाति की इमारती लकड़ी अथवा काष्ठ से बना मधुमक्खी का कृत्रिम घर।
3.	I	55. स्लेट(जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं हैं), स्लेट पेन्सिल, तख्ती और लकडी के स्केल एवं डस्टर।	55. स्लेट(जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं हैं) और स्लेट पैंसिल।
4.	II(B)	6– सभी प्रसंस्कृत, व परिशोधित सब्जियॉ, शाकाहारी मशरूम तथा फल जिसमें फलों के जैम, जैली, स्क्वैश, पेस्ट, फलों के पेय, फलों का रस और अचार (चाहे बन्द डिब्बों में हो अथवा अन्यथा) भी सम्मिलित हैं	6– सभी प्रसंस्कृत, व परिशोधित सब्जियॉ, मशरूम तथा फल जिसमें फलों का जैम, जैली, फलों का स्क्वैश, पेस्ट, फलों का पेय, फलों का रस और अचार सम्मिलित हैं परन्तु जिसमें सभी प्रकार के सॉस, पोटेटो चिप्स, बनाना चिप्स तथा अन्य प्रकार के फल व सब्जियों के चिप्स सम्मिलित नहीं हैं (उक्त वस्तुऐं चाहे सील्ड कन्टेनर्स में हों अथवा अन्यथा)।

5.	II(ख)	8. बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक तथा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन (जिसमें प्रैशर कुकर/पैन भी सम्मिलित हैं), बाल्टियां एवं कन्टैनर्स, और इनैमिल के बर्तन।	8. बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक अथवा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन एवं इनैमिल के बर्तन(जिनमें प्रैशर कुकर/पैन भी सम्मिलित हैं), बाल्टियॉ, जग एवं मग।
6.	II(ख)	9. "पैकिंग के सामान जिसमें (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स, प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे, कार्टून, जैरी कैन, थैले, (ख) पुर्न–चक्रित कागज से बने मोल्डिड ट्रे (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ) लेमिनेटिड जूट के बोरे, (ङ) खाली ग्लास बोतल एवं फिअल्स भी सम्मिलित है।"	9. "पैकिंग के सामान जिसमें (क) ऐसे बॉक्स, क्रेट, केस, कार्टून्स, जैरी कैन, एवं थैले, जो कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स अथवा प्लास्टिक के बने हुए हों (ख) पुर्न–चक्रित कागज से बने मोल्डिड ट्रे (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ) लेमिनेटिड जूट के बोरे (ङ) खाली ग्लास बोतल एवं फिअल्स सम्मिलित हैं परन्तु काष्ठ अथवा इमारती लकडी से बने हुए पैकिंग के सामान सम्मिलित नहीं है।
7.	II(ख)	41. ड्रग्स, औषधियॉ और फार्मास्यूटिकल्स निर्मिति(एलोपैथिक, आर्युवैदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी) जिसमें टीके की दवा, सिरिंज व पट्टियॉ, औषधिक मल्हम जो ड्रग लायसेंस के अधीन उत्पादित हों, और आई0पी0श्रेणी का हल्का लिक्विड पैराफीन	41. ड्रग्स एवं औषधियां, चाहे पेटेन्ट हों या सांपत्तिक , जैसा कि ड्रग्स एवं कास्मैटिक्स अधिनियम 1940 (केन्द्रीय अधिनियम 23, 1940) की धारा 3 (क) अथवा धारा 3 (ख) के खण्ड– (i), (ii), (iii) एवं ड्रग्स एवं कास्मैटिक्स नियम, 1945 के नियम 2 (घघ) में परिभाषित हैं, जिसमें वैक्सीन, हाईपोडरमिक सिरिंजेज, हाईपोडरमिक निडिल, अंत्र–रज्जु, टांका (घाव सीने का धागा), शल्यक रूई, पट्टियां, प्लास्टर्स, कैथरटर्स, कैन्यूले, बैन्डेजेज, औषधिक मल्हम, जो ड्रग्स लाईसेंस के अधीन उत्पादित हों, आई0पी0 श्रेणी का हल्का पैराफिन एवं इसी प्रकार की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, किन्तु निम्नलिखित औषधियुक्त वस्तुऐं सम्मिलित नहीं है :– (i) सभी प्रकार का तेल (ii) टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य दंत मंजन (iii) साबुन (iv) शैम्पू (v) कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स (vi) टेलकम पाउडर (vii) मच्छर विकर्षक किसी भी रूप में
8.	II(B)	125– लेखन उपकरण, ज्यामितीय डिब्बे, रंग के डिब्बे, रंग की पैंसिल, पेंसिल की तीक्ष्णक और वैज्ञानिक, गणितीय, सर्वे, यांत्रिक रेखाचित्र और जैव उपकरण और यंत्र	125– लेखन उपकरण, ज्यामितीय डिब्बे, रंग के डिब्बे, रंग की पैंसिल, पेंसिल की तीक्ष्णक और वैज्ञानिक, गणितीय, सर्वे, यांत्रिक रेखाचित्र और जैव उपकरण और यंत्र (लेकिन इनमें उक्त उत्पाद सम्मिलित नहीं है जो काष्ठ या इमारती लकड़ी से बने हों)।
9.	II(B)	133–"प्लाईवुड उत्पाद अर्थात् ब्लौक बोर्ड, फ्लश डोर, विनीयर एवं कृषि अपशिष्ट जैसे बैगास से निर्मित प्लेन एवं	133– कृषि अवशिष्ट आधार जैसे बैगास से निर्मित प्लेन एवं प्रीलैमिनेटेड फाइबर व पार्टिकल बोर्ड्स।

		प्रीलेमिनेटेड फाइबर व पार्टिकल बोर्ड्स एवं कृषि आधारित वृक्षों यथा यूकेलिप्टस एवं पापुलर के टिम्बर से निर्मित फाइबर बोर्ड्स व पार्टिकल बोर्ड्स।"	
10.	II(B)	नयी प्रविष्टि	145– मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पलें एवं उनके स्ट्रैप्स।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 96 /2015/181(120) /XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.96/ 2015/181(120)/ XXVII(8)/08 dated 20 JANUARY 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 96 / 2014/ 181 (120) / XXVII(8)/ 08
Dehradun :: Dated: 20 JANUARY, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule-I and Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendments

Sl.	Schedule	Sl. no. and the existing entry in the schedule	Amended / Added Entry
1	I	1.Cart driven by animal and agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven.	1. Agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven (excluding parts and accessories thereof which are made of wood or timber).
2	I	7. Beehive and honey	7. (i) Honey (ii) Beehive made of timber or wood of kinds/ species other than Teak, Devdar, Saal, Sheesham, Kail or Sain.
3.	I	55. Slate (excluding writing boards), slate pencils, takhti and wooden scale & duster	55.Slate(excluding writing boards) and slate pencils
4.	II(B)	6- All processed and preserved vegetables, vegetable mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks, fruit juices and achar (whether in sealed containers or otherwise)	6- All processed and preserved vegetables, mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks, fruit juices and achar but excluding all type of sauce and potato chips, banana chips and other fruit and vegetable chips.

			(whether above goods are in sealed containers or otherwise)
5.	II(B)	8. All utensils (including pressure cookers/pans), buckets and containers made of aluminium, iron and steel, plastic and other materials except precious metals and enamelled utensils	8. All utensils and enamelled utensils (including pressure cookers and pans), buckets, jugs & mugs, made of aluminium, "iron & steel", plastic or other materials except precious metals.
6.	II (B)	9. Articles of packing including (a) boxes, cases, cartons, jerry cans, bags made of paper, paper board, corrugated sheets, plastic (b) moulded tray made from re-cycled paper, (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags(e) empty glass bottle and phials	9. Articles of packing including (a) boxes, ***crates,*** cases, cartons, jerry cans, bags made of paper, paper board, corrugated sheets or plastic (b) moulded tray made from re-cycled paper (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags (e) empty glass bottle and phials, **but excluding article of packing made of wood or timber.**
7.	II (B)	41. Drugs, medicines and pharmaceutical preparations (Allopathic, Ayurvedic, Homeopathic and Unani) including vaccines, syringes and dressings, medicated ointments produced under drug license and light liquid paraffin of IP grade	41. Drugs and Medicine whether patent or proprietary; as defined in **Section 3(a) or** clauses (i), (ii) and (iii) of section 3(b) of The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) or Rule 2(dd) of The Drugs and Cosmetics Rules, 1945; including vaccines, hypodermic syringes hypodermic needles, catguts, sutures, surgical cotton, dressings, plasters, catherters, cannulae, bandages, medicated ointments produced under drug license, light liquid paraffin of IP grade and similar articles but not including the following medicated goods- (i) all kinds of oil (ii) tooth pastes, tooth powder and other dentifrices (iii) soap (iv) shampoo (v) cosmetics and toilet preparations (vi) talcum powder (vii) mosquito repellents in any form
8.	II(B)	125- Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and	125- Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and scientific, mathematical,

		scientific, mathematical, survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus	survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus (excluding such above products *which are* made of wood or timber)
9.	II(B)	133- "Plywood product namely block board, flush door, veneer and plain and pre-laminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse and fiber boards and particle boards made out of timber of agro based trees such as eucalyptus and poplar."	133- Plain and pre-laminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse.
10.	II(B)		145- Moulded plastic footwear, hawai chappals and their straps

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.